

"श्री"

क्यामालम उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा (काङ्ग्रेस)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी P.A.S.
केटि कैम्प जागिदाना

(1) अपील सं. 03/2020

(1) अपीलान्त

दानाराम पुत्र मूलाराम
जाति जाट निवासी
मूलजी की दागी
(जागिदाना)
रहसील पंचपररा
(काङ्ग्रेस)

V/S वेस्पोडे-रत

1. सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ़
2. बिरदाराम पुत्र जेराराम
3. बिरानाराम पुत्र मूलाराम
4. मंगलाराम पुत्र मूलाराम
5. उहलाराम पुत्र जेराराम
6. चोकाराम पुत्र जेराराम
7. भगवानाराम पुत्र भगाराम
पुत्र जेराराम सभी जागिदार
निवासीदान मूलजी की दागी
8. राजस्थान सरकार जरीफे
रहसीलदार, पंचपररा



(2) अपील सं. 01/2021

अपीलान्त

दानाराम पुत्र मूलाराम
जाति जाट निवासी
मूलजी की दागी

V/S वेस्पोडे-रत

1. सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ़
2. बिरदाराम पुत्र उहलाराम
4. चोकाराम पुत्र भगवानाराम पुत्र
भगाराम पुत्र जेराराम
6. बिरानाराम पुत्र मंगलाराम
पुत्र मूलाराम सभी जागिदार
निवासीदान मूलजी की दागी
8. राज. सरकार जरीफे रहसीलदार
पंचपररा
9. शा. शा. पंचपररा पंचायत नेशनल कैम्प
(ई.के.डी.सी.) शा. शा. कागिदाना

(नरेश सोनी)

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गाँवों के संग अनियाम 2021
कैम्प ग्राम पंचायत पत्त

अपील क्रमांक 75 RLR Feb-1956 विन्डू नामांतरण
 सं. 181 दि. 13-05-1972, एवं नामांतरण सं. 102 दि. 13-05-1972
 विसं. 13-05-1972, एवं नामांतरण सं. 102 दि. 13-05-1972
 विसं. 13-05-1972, एवं नामांतरण सं. 102 दि. 13-05-1972
 विसं. 13-05-1972, एवं नामांतरण सं. 102 दि. 13-05-1972

- 101 -

आदेश दिनांक 12-10-2024

संकेप में अपीलान्त द्वारा तारीख सं. 03/2020
 एवं अपील सं. 01/2021 दोनों अपील समान प्रश्नों की
 वीने से इनका निर्णय एक साथ में किया जा रहा है।

1. यह कि अपीलान्त के स्वामी जेवाराय पुत्र देवजी
 जो अपीलान्त व रेस्पोंडेंट 6, 7 के वहां एवं रेस्पोंडेंट
 2 व 5 के पिता का ग्राम जातिमाना के क्षेत्र खसरा
 नम्बर 25 रकबा 92.15 बीना अर्द्ध में 1/2 हिस्सा
 खासदारी व कब्जा वास्तु की आई डई थी जो
 वर्तमान में तबसूमि राजस्थान ग्राम मूलजी की दायी के
 सं. सं. 84/85 रकबा 46.81 बीना अपीलान्त व रेस्पोंडेंट सं.
 2 व 7 के विरासत से प्राप्त हुई। जेवारी के स्वामी
 के पंचायत नामांतरण सं. 181 जारी करने समय
 जेवारी के पुत्र केजी के वारिस उनके पुत्र व रेस्पोंडेंट
 व रेस्पोंडेंट सं. 6, 7 के नाम एवं 4 व 5 के नाम जारी
 नहीं कर केवल दो पुत्रों धिरदास, भगवानाज के नाम




नियंत्रक
 वैयक्तिक अधिकारी उपसचिव अधिकारी पदेन सहायक सचिव
 राजस्थान, प्रशासन विभाग के संग अक्टूबर 2021
 जयपुर ग्राम पंचायत

पारित किया गया।

पफकारान अलीखान का त 22 से 25 तक 2 का त का

खानदान तंश वृक्ष राजरा इक प्रकार है।

जेराराम



2. अलीखान के द्वारा देरी माफ करने हेतु शाहीना-का धारा 5 भारतीय परिशीमा कविनिषिक्त का कपीत के साथ में ऐसा कर कपीत को प्रकृत करने में हुई देरी के समा करने का निवेदन किया गया।

3. मसौदा सं. 1/2021 नामानाकरण सं. 182 दि. 13-5-1972

जो सरफंगुम ग्राम पंचायत इमरतई के द्वारा जेराराम व रतनाराम की लोहजी पर दानराम, मंगलाराम प्रकृतप्राप्त व प्रहलदराम, चौकाराम, जगतनारायण उर्फ जगदाम फि जेराराम जी को वंशित रखकर जेराराम के वारिसान एक पुत्र विरदाराम व रतनाराम के वारिसान में आई का जापदा पुत्र विशनाराम के नाम पारित किये गये। नामानाकरण सं. 182 में मूल गांव जातिमाना के छ.नं. 3/3 अकमा 222 बीघा में 1/2 बिस्का जेराराम व उनके पुत्र रतनाराम, व प्रहलदराम के नाम बराबर छिरेले की



राजेश कुमार
जिला अधिकारी उपक्रम
सालेसर, प्रयाग, उत्तर प्रदेश
दिनांक 15/05/2021
श्रीम प्रम पंचायत

वर्षमान में गण कुलजी को दाजी के क्षेत्र क्र. 5913 व 70/3
की जाई हुई है, जेसारास, व रतनारास विवेकधरी स्वर्गनाथ हुआ।
रतनारास लालोलास स्वर्गनाथ हुआ तो जेसारास के प्रथम कोर्डी
के सभी वारिसान व रतनारास के कोर्डी माय-दा कोर्डी
समान न हो बने से द्वितीय कोर्डी के सभी वारिसान के
नाम नामात्रलक्षण सं. 182 को भरकर स्वीकार करना था।


कमीला-2 के द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के
लिए चारा 5 परिसीमा इमिडिएट का तार्पना-पत्र पेश कर
अपील को-मिलास शुमार करने हुए कमीलाप्रीत इरिशा को
अपारक करने का निवेदन किया गया।

उत्तरदाता विरदारास, किशनापत ने इकबाली जवाब पेश कर
खानदान का वंश वृक्ष सजरा सभी को स्वीकार कर
कमीला-2 की अपील को स्वीकार किया जाया है, के ऊन्हे
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रशासन गांको के संग इमिडिएट केम्प कोर्ट में विरदारास
मंगलारास, सरपंच गण पंचायत जातिमाना श्रीमति शब्रदेवी
को-मजमें हाफ में बुलाया। तहसीलदार, पंचप्रदरा के




द्वारा मजमें हाफ में जांच कर कमीला-2 के द्वारा उस्तु
वस्तुओं को सही होना जाहिर कर अपील को स्वीकार करने
का निवेदन किया गया। उपरिपत्र उत्तरदातागण विरदारास
व मंगलारास ने भी अपनी सहमति उक्त की और
अपने सहमति स्वकय इत्यादि लिखे जिनकी पहचान
श्री अनारास इफिकर द्वारा की गई, चेही लिपि
में कमीला-2 की अपीलों को स्वीकार करने में किसी
प्रकार की कोई आपत्ति उभरी नहीं होती है।


पेटासीन अधिकारी अपरमंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांको के संग अधिवान 2021
केम्प ब्राम पंचायत प.स.

(5.)

अपीलांत के द्वारा अपील जेवा करने के उई
दोरी के लिए प्रस्तुत चारा 5 भारतीय परिषदा
अधिकार के प्राधान्य परों के स्वीकार कर अपील
मिनाड सुनाए करने में उतरदाता विरुदात, मंगलपुर
की सहायि के आधार पर मिनाड सुनाए की नगीदी

अपीलांत की अपीलों के स्वीकार कर
अपीलाधीन नामा-रकल सं. 181 व 182 दिनांक
13.05.1972 के सरपंच ग्राम पंचायत उमरलाई के
द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के कपास कर तखीला
पचपदरा को पुनः ऐषित कर निर्दिष्ट किता जात है
कि वेखजेराबाम व ख. रतनाराम के वारिदानों के
जांच कर, विधिगत नामांतरकल वाड जांच स्वीकर
किता जावे।



आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को उच्चाधन गंधों
के संग आभोक्ति कोर्ट केमप जाहिपाना में मजदें आत
में हुनाता गता।

(Handwritten Signature)

पैठासीन अधिकारी उमरलाई अपील पदेन सहायक कलक्टर
बालीतरा, प्रशासन गंधों के संग अतिवत 2021
कंपे ग्राम पंचायत